

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महोबा।

राजस्व अनुभाग -10

लखनऊ दिनांक: 26 अप्रैल, 2008

विषय: प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सामूहिक कूपों को गहरा करने हेतु लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त रिवैलिडेड तथा धनावटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007-08 में सूखे से प्रभावित जनपदों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामूहिक कूपों को गहरा करने हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर रु० 13,00,000/- (रुपये तेरह लाख मात्र) की धनराशि रिवैलिडेड तथा आवंटित करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की सूची मा० जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

4. मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जाँच टीम गठित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जाँच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

5. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अवशेष कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही है। पूर्व में मदवार स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी प्रकार का विचलन गम्भीर अनियमितता माना जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि विभाग की माँग पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये आहरित की जायेगी कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय।

7. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या- जी0आई0-134/1-11-2007-46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या -1693/1-11-2005-रा0-11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5 भाग -1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

(जी0 के0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 2459(1)/1-10-2008-12(73)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि -- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निर्देशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, महोबा।
6. वित्त ध्यय नियंत्रण अनुभाग -5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0 के0 टण्डन)

राहत आयुक्त एवं सचिव